

1960 70

1962

1962

(INGOs)

1980

(1) UN

- Only Our Earth - (1972)

2

3

The Limits to Growth - (1972)

(Brundage)

'Our common Future'- (1987)

Sustainable

development

□

1

(Stockholm Conference)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

पर्यावरणीय मुद्दे

पर्यावरणीय मुद्दे के दशक में वैश्विक राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगे। हरित राजनीति का अग्रणी कार्य- रचेल कार्सन की कृति- 'द साइलेंट स्प्रिंग' () था, जिसने वन्यजीव व मानव जीवन पर रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव को बताया। फिर मुर्रे बुकचिन की 'आवर सिंथेटिक एनवायरमेंट' () आई। (Stockholm Conference) 1972 में केन्द्रित किया गया बाद में ग्रीनपीस व 'फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ' जैसे-अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। के दशक में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में ग्रीन राजनीति दल बनने लगे जैसे - जर्मन ग्रीन्स।

पर्यावरण से सम्बन्धित कुछ प्रसिद्ध रिपोर्ट:-

United Nations Conference on the Human Environment - UNCHE

United Nations Environment Programme (UNEP) (

() 'क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट' -

() ब्रुटलेण्ड कमीशन की रिपोर्ट जो

(Earth Summit) 1992:- United Nations conference on Environment and

Development- UNCED

इसमें क्रॉस जनरेशनल जस्टिस (भावी पीढ़ीयो के लिए न्याय या अन्तःपीढ़ी न्याय) का समर्थन किया गया है।

पर्यावरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सम्मेलन व समझौते:-

1972 () स्टॉकहोम सम्मेलन

(Environment and Sustainable Development) महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।

Kalam Academy Sikar | Jaipur :

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) की

स्थापना की गई।

स्टॉकहोम घोषणा में 26 सिद्धांत शामिल थे जिसमें पर्यावरणीय मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय चिंताओं में सबसे आगे रखा गया।

() पृथ्वी सम्मेलन

रियो-डि- जेनेरियो (ब्राजील) में हुआ।

जून

यह वैश्विक सम्मेलन वर्ष में स्टॉकहोम (स्वीडन) में पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन की वीं वर्षगाँठ पर आयोजित किया गया, जो पर्यावरण एवं सतत् विकास पर आधारित था।

Agenda-21

यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की रक्षा व सतत् विकास पर आधारित था।

Agenda-21 **प्राथमिक उद्देश्य** :- पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए व्यापक एजेण्डा और नया खाका तैयार करना, जो इक्कीसवीं सदी में अन्तराष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति को निर्देशित करने में मदद करेगा।

पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम-

()

सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था- । बी सदी में समग्र सतत् विकास प्राप्त करने के लिए भविष्य में निवेश करने और नई रणनीतियों के लिए कार्यवाही का एक साहसी कार्यक्रम है।

इसकी सिफारिशों में शिक्षा के नए तरीकों से लेकर प्राकृतिक ससाधनों के संरक्षण के नए तरीकों और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के नए तरीकों शामिल हैं।

2) Commission on Sustainable Development (CSD)

एजेण्डा - के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए महासभा का विशेष सत्र जून में आयोजित किया गया जिसे 'अर्थ समिट' कहा जाता है।

5) UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

COP

(Conference of Parties)

UNFCCC **साझी सम्पदा का विचार**- वायुमण्डल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह व बाहरी अन्तरिक्ष साझी सम्पदा के अन्तर्गत आते हैं। **साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ**- उत्तर व दक्षिण देशों की पर्यावरण संरक्षण साझी जिम्मेदारी है पर उत्तर के विकसित देशों का उत्तरदायित्व ज्यादा है।

1992 UNFCCC

March 1994

की स्थापना () व

1996

जलवायु परिवर्तन पर 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन' है।

पृथ्वी सम्मेलन - से अस्तित्व में आया। यह में प्रभावी हुआ।

UNFCCC

इसका सचिवालय स्थापना के समय जिनेवा में था। से बॉन जर्मनी में स्थित है।

(1) UNFCCC यह अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

(2) UN Convention on Biological Diversity

(3) Convention to Combat Desertification

Kalam Academy, Sikar, Jaipur

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

तीनों आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। तीनों में आपसी चिंता के मुद्दों पर गतिविधियों में तालमेल विकसित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ तीनों सम्मेलनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सम्पर्क समूह की स्थापना की गई।

रियो पृथ्वी सम्मेलनों की तीन बहनें

Dr. Beniwal
dyke ifCyds'ku

□
(Dengerous)
UNFCCC

(A)
(B)
(Sets a Lofty But Specific Goal)
(C)
COP

□
□
Parties

Parties
(CMP)

(CMA)
□

□
(SBI)

(SBSTA)

'Conference of Parties' (cop)
1995

1997
□ UNFCCC
□

□
cop- 1st

cop- 3rd
□

□
Cop - 8 -
Cop - 26 -

□
□
□
1.5^o C

COP - 27
2022
COP - 27

1
(Establisheing a dedicated fund for loss and
damage)

UN
2.
1.5^o C
1.5^o C
3.

□
4
2023 UN

जलवायु प्रणाली के साथ 'खतरनाक'
इसके अन्य उद्देश्य हैं-

मानवीय हस्तक्षेप को रोकना

का प्रमुख उद्देश्य है।

पर्यावरण क्षरण को एक समस्या के रूप में पहचानना।

विशिष्ट लक्ष्यों के निर्धारण के लिए ऊँचा लक्ष्य रखना।

नेतृत्व की जिम्मेदारी विकसित देशों पर डालना

सर्वोच्च निकाय -

क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकों की बैठक के रूप में सेवारत का सम्मेलन

पेरिस समझौते के पक्षकों की बैठक के रूप में सेवारत का सम्मेलन

सहायक निकाय

कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय

वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय

प्रत्येक वर्ष

का आयोजन करवाता है।

का आयोजन बर्लिन (जर्मनी) में किया गया।

का आयोजन क्योटो (जापान) में हुआ, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल निश्चित किया गया यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की प्रथम वैश्विक संधि थी।

नवम्बर 2002 नई दिल्ली भारत में हुआ था।

ग्लोसगो (ग्रेट ब्रिटेन- उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम) में 31 अक्टूबर - 12 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ।

ग्लोसगो जलवायु संधि 2020 को 'जलवायु कार्यवाही और समर्थन' के दशक में बदलने का निर्णय लिया गया।

वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को तक सीमित करने पर सहमती बनी रही।

- शर्म अल शेख (मिश्र) में नवम्बर में आयोजित हुआ।

के परिणाम:-

नुकसान और क्षति के लिए एक समर्पित कोष की स्थापना

महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इसे "न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम" कहा।

तापमान को पहुँच के भीतर तक रखने का स्पष्ट इरादा बनाए रखा।

वर्तमान में दुनिया को पहुँच के भीतर रखने के लिए तैयार नहीं है।

व्यवसायों और संस्थानों द्वारा का गई प्रतिबद्धताओं के मामले में जवाबदेही पर एक नया ध्यान केन्द्रित करना।

व्यवसायों और संस्थानों से प्रतिबद्धताओं की पारदर्शिता में जलवायु परिवर्तन की प्राथमिकता होगी।

विकासशील देशों के लिए अधिक वित्तीय सहायता जुटाना।

इसमें के स्तर से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना निर्धारित किया गया

() **कोपेन हेगन शिखर सम्मेलन – (**

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन)

यह क्योटो प्रोटोकॉल के उत्तराधिकारी के रूप में था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल तक ही था अतः इसकी जगह नई व्यवस्था निर्माण के लिए यह सम्मेलन में बुलाया गया था।

यह एक राजनीतिक समझौता है जिसे कोपेनहेगन समझौता कहा जाता है इसमें अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसमें भाग लिया।

इसमें विकसित देशों ने से वर्ष तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष बिलियन डॉलर देने का वादा किया।

(Least Developing Countries)

यह फंड हरित जलवायु कोष के नाम जाना जाता है।

इसका उद्देश्य विकासशील और अल्प विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान में सहायता करना है।

इसमें तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर के प्रतिशत ज्यादा तक रोकने का निश्चय किया गया। पर यह सम्मेलन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं थे।

साझी सम्पदा से सम्बन्धित समझौते -

अंटार्कटिका संधि -

दिसंबर , वाशिंगटन में हुई हुआ इस पर ने देशों ने हस्ताक्षर किए।

यह में लागू हुई।

वर्तमान - पक्षकार

मुख्यालय - ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना)

भारत - में इस संधि का सदस्य बना।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल -

कनाडा में यह सम्मेलन- ओजोन परत क्षरण को रोकने को लेकर हुआ था।

इसमें गैसों के उत्सर्जन रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है।

तक ओजोन परत को पुनः प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रावधान।

यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के रूप सन्दर्भित लगभग मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है।

विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग समय सारणी के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विभिन्न की खपत और उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करता है।

विकासशील व विकसित देशों की समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियाँ हैं।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष की स्थापना में की गई।

में महासभा ने सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अन्तराष्ट्रीय दिवस की घोषणा की।

ओजोन दिवस - सितंबर

संक्षेप के द्वारा घोषित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर वाले दिन को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ओजोन परत के लिए वियना कन्वेंशन :- ओजोन परत की कमी की वैज्ञानिक पुष्टि ने अन्तराष्ट्रीय समुदाय को ओजोन परत की रक्षा के लिए कार्यवाही करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने को प्रेरित किया।

इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में औपचारिक रूप दिया गया। जिसे मार्च को देशों द्वारा अपनाया गया। सितंबर में इसने ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया।

2016 सितंबर को वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सार्वभौमिक अनुसमर्थन करने वाली पहली संधियाँ बनीं।

28 (HFCs)
(c)

किंगाली संशोधन, :-

ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर 1991 प्रोटोकॉल के पक्ष में अक्टूबर किंगाली, रवांडा में पार्टियों (The Protocol on the Environment and the Protection to the Antarctic Treaty) के 1991 सहमत हुए।

अंटार्कटिका संधि के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल,

इसे मेड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा कहा जाता है।

इस पर अक्टूबर को मेड्रिड में हस्ताक्षर हुए।

लागू -

यह अंटार्कटिका को “प्राकृतिक रिजर्व, शांति और विज्ञान के लिए समर्पित” के रूप में नामित करता है।

अंटार्कटिका में मानवीय गतिविधियों पर लागू होने वाले बुनियादी सिद्धान्तों को निर्धारित करता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर, अंटार्कटिका खनिज संबंधित संसाधनों से सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।

1991
1998
Cop-21,
2015:-

पेरिस-

(Cop-21)

पेरिस समझौता
196 Parties

इसे द्वारा अपनाया गया।

2016 यह नवंबर को लागू हुआ।

इसका व्यापक लक्ष्य “वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि” को रोकने के व्यापक प्रयास करना है।

वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना ताकि इस सदी में वैश्विक वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कम रखा जा सके।

से देश अपनी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के रूप में जाना

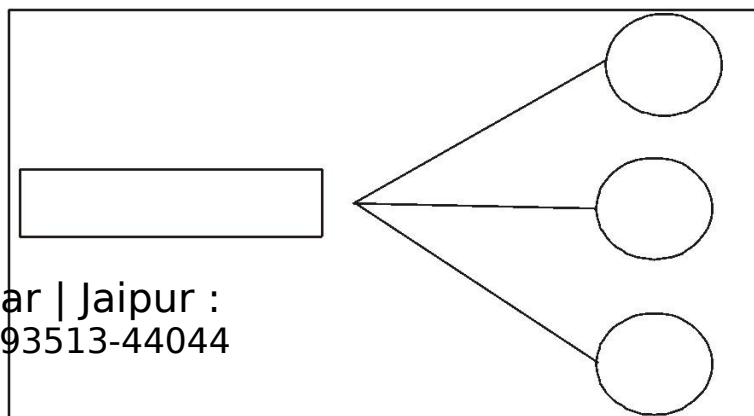
(Pre Industrial level) 2°C

2020 पेरिस समझौता उन देशों को वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिन्हें (Nationally determined Contributions (NDCS)

Financial

Technical
PARIS Agreement Provides
a Framework For
Capacity
Building

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :
Call Us : 99828-44044, 93513-44044



पेरिस समझौते के अन्तर्गत देशों ने - 'उन्नत पारदर्शी ढांचा' स्थापित किया।

के अनुपालन के लिये भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान:-

2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 - 35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है।

भारत ने वृक्षारोपण और वन क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन के बराबर कार्बन सिंक बनाने का दावा किया है।

भारत कर्क और मकर रेखा के बीच अवस्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के तौर पर कार्य करेगा।

Intended Nationally Determined Contribution समझौते के बिन्दु- में ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह पेरिस समझौता में लागू हुआ।

पर्यावरणीय संगठन

स्थापना - (स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद)

मुख्यालय - नेरोबी (केन्या)

उद्देश्य- पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित कार्यों समझौतों आदि को बढ़ावा देना।

स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) द्वारा की स्थापना की गई।

यह पर्यावरण पर अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है।

का मिशन- भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना राष्ट्रों और लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता से सुधार

Triple Planetary Crisis
Climate change
Nature and Biodiversity loss

Pollution and waste

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) करने के लिए प्रेरित करना, सूचित करना और सक्षम बनाना है। यह जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और कचरे के समाधान खोजने के प्रयास में देशों को एकजुट करता है। जिसे सामूहिक रूप से 'त्रिगुणात्मक ग्रह संकट' के रूप में जाना जाता है।

1988 WMO
UNEP

IPCC (जलवायु परिवर्तन) (प्रकृति और जैव विविधता का ह्रास) (प्रदूषण एवं अपशिष्ट)

IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल)

• 2007 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला।

IPCC इसका गठन में और द्वारा किया गया। (विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम)

IPCC उद्देश्य - सरकारों को सभी स्तरों पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना जिसका उपयोग जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

1st Report- 1990

2nd Report- 1995

3rd Report- 2001

4th Report- 2007
6th Report - 2014
AR6 Synthesis Report, 20 March 2023

वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं का एक अन्तर्राष्ट्रीय पैनल है जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जलवायु परिवर्तन पर सलाह देता है। इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन व द्वारा की गई थी।

जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव, निदान के विकल्प बताता है।

ने अब तक छः रिपोर्ट जारी की -

- () के पृथ्वी सम्मेलन का आधार/प्ररेणास्त्रोत बनी।
- () यह क्योटो प्रोटोकॉल का आधार बनी।
- () में।
- () इसमें जलवायु परिवर्तन व मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के बीच संबंधों के अधिक सबूत प्रदान किए गए।

2023 का आकलन: (),

चेतावनी - जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु कार्रवाई की गति और पैमाने अपर्याप्त है।



Dr. Beniwal
dyke ifCyds'ku
Reports

1st
Year
1990
1995
2001
2007
Report Name
FAR

2nd
SAR
TAR
AR4
AR5

3rd
4th
5th
2014
6th

20 March 2023
AR6
AR – Assessment Report -
IPCC

□

□

□

3

□

□

□

□

□

□

□

□

(INGO)

1971
Don't Make a Wave Committee

Jim Bohlem,

Paul cote Irving stowe
1971

□

Green Peace India -

□

□

□

□

4. Friends of the Earth International

□ 1971

के कार्य

पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अभियान चलाना जो आर्थिक कॉर्पोरेट वैश्वीकरण के वर्तमान मॉडल को चुनौती दे सकें।
ऐसे समाधानों को बढ़ावा देना जो पर्यावरण दृष्टि से स्थायी और सामाजिक रूप से न्यायसंगत समाज की मदद करें।

मुख्यालय- जेनेवा

ग्रीनपीस:-

अन्तराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन

स्थापना -

मुख्यालय - एमस्टर्डम (नीदरलैंड)

संस्थापक - इरविंग स्टॉव न डोरोथी स्टॉक

उद्देश्य - पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता की रक्षा करना।

इसकी पहली कार्रवाई - परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोकने की कोशिश थी।

ग्रीनपीस की पहली कार्रवाई के द्वारा की गई जिसके संस्थापक व थे।

शुरूआत - में स्वयं सेवकों के एक छोटे समूह के साथ अमेरिकी सैन्यवाद और परमाणु हथियारों के परीक्षण के विरोध में वैकूबर से।

स्थापना-2001

1998 में ताजमहल के पास प्रतिष्ठित हॉट एयर बैलून का विरोध किया गया।

1995 में जहरीले कचरे का डम्पिंग ग्राउण्ड के रूप में इस्तेमाल करने वाली पश्चिमी कम्पनियों को रोकने का अभियान (विचार दिल्ली से शुरू)

गुजरात में जहरीले जहाज तोड़ने के खिलाफ अभियान चलाया।

से शुरू

स्थापना - फ्रांस, स्वीडन, यूके और के चार संगठनों द्वारा की गई।

में सचिवालय की स्थापना की गई।

मुख्यालय - एमस्टर्डम (नीदरलैंड)

(क्लाइमेट क्लब)-

अवधारणा- विलियम नॉर्डहास ने दी।

(Common But Differentiated Responsibility)

तर्क - मौजूदा जलवायु समझौते जैसे - क्योटो प्रोटोकॉल (1997) एवं पेरिस जलवायु समझौता (2015) की स्वैच्छिक प्रकृति के कारण ये अधिक प्रभावी नहीं हैं।

नॉर्डहास के अनुसार - ऐसे समझौतों के तहत अधिकांश देश खानापूर्ति करते हैं।

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

इस समस्या को हल करने एवं जलवायु समझौते पर पुनर्विचार करने और वर्तमान त्रुटिपूर्ण मॉडल को एक अलग प्रोत्साहन

(Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) (CO)

जलवायु क्लब द्वारा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में फ्री राइडिंग सिंड्रोम को दूर कर सकते हैं।

साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियाँ

1992 में

में

‘साझा’ लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों व संबंधित क्षमताओं की धारणा लिखी गई थी।

यद्यपि सभी देशों को दुनिया की बदलती जलवायु के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी थी। विकसित राष्ट्र तुरंत जिम्मेदार थे क्योंकि उन्हें औद्योगिकरण से लाभ हुआ था जिसे आमतौर पर अत्यधिक

कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन का कारण माना जाता था जिससे औसत तापमान में वृद्धि होती है।

2015 के पेरिस समझौते में इसका समाधान नहीं निकला लेकिन ‘विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में वाक्यांश जोड़ा गया।’ जिससे

विकासशील राष्ट्रों को छूट प्रदान की गई। समझौते में विकसित, विकासशील, कम विकसित और छोटे द्वीपीय राज्यों पर लगाए गए दायित्वों को सूक्ष्म रूप से अलग किया गया।

2015 का पेरिस समझौता:-

(Global Stocktake) में वृद्धि को से काफी नीचे तक सीमित करने और 2050 तक जितनी जल्दी हो सके

1 Tragedy of commons उत्सर्जन को घटाने और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए उन्हें के नीचे रखने के लिए

2. Free Rider state and Sovereignty प्रयासों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।

3 सभी पक्षों से अपने ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित’ उत्सर्जन कमी योगदान को प्रकाशित करने और उसमें

Kalam Academy Sikar | Jaipur : सुधार लाने का लक्ष्य है।

Call Us 99828-44044, 93513-44044 विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए वित्त प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए

बाध्य करता है।

प्रगति को मापने और प्रोत्साहित करने के लिए हर पांच साल (2023 से शुरू) में एक ‘वैश्विक स्टॉकटेक’ शामिल है।

विकसित व विकासशील देशों के मध्य पर्यावरणीय मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण (बाधाएँ) :-

(कॉमन्स की त्रासदी)

. उत्तर - दक्षिण विवाद

5. Tensions between Developed and developing States
6. Economic Obstacles (

सदस्य - 44 देश

विश्व की आबादी का - 4 प्रतिशत

7. Ideological Obstacles (

नाउरू, तुवालु आर वानुअत जस सदस्या क लए जलवायु पारवतन स जुड़ समुद्र क स्तर म वृद्ध स निकट भविष्य मे बाढ़ का खतरा है।

8. Conflict between the Collective good and National Interests
The Alliance of Small Island States (AOSIS)
AOSIS 1990

अपने लक्ष्यों के संयुक्त लक्ष्यों के माध्यम से 'तदर्थ लांबी और वार्ता

आवाज' है

- AOSIS
(Ad hoc lobby and negotiating force)

पर्यावरण पर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पहल

- 1950
World Meteorological Organization- WMO

मौसम विज्ञान (मौसम एवं जलवायु) तथा भू-भौतिकी से संबंधित, विश्व मौसम विज्ञान संगठन () की स्थापना संयुक्त की एक विशेष

- 1959
United Nations Conference on

एजेंसी के रूप में की गई।

: अंटार्कटिका संधि के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप जो विश्व का एकमात्र मानव आबादी से रहित महाद्वीप है को वैज्ञानिक संरक्षण के रूप में अलग किया गया।

- UN Environment
the Human Environment- UNCHE

: स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (

) जिसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय कार्यवाही की नींव रखी गई तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम () का मार्ग प्रशस्त किया।

- Programme-UNEP
1973

- International Trade in
Endangered Species-ITES

: लुप्तप्राय प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (

)। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वन्यजीवों और पौधों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं हो।

- Kalam Academy, Sikar
Call Us : 99828-44044, 93513-44044

Sustainable Development
Protection of the Ozone Layer
1987

: समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ()
जिसने विश्व के महासागरों के उपयोग के लिए देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित
किया और व्यवसाय, पर्यावरण तथा समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश
स्थापित किए (यह 1994 में लागू हुआ)

1987
Montreal Protocol
1988

: ओजोन परत के संरक्षण के लिये वियना कन्वेंशन, ()
जिसने आर्कटिक 'ओजोन छिद्र' (Ozone Hole) के
अस्तित्व की पुष्टि की और सीएफसी गैसों के उपयोग को कम करने का प्रयास (1987 में लागू)
: ब्रुटलैण्ड आयोग की रिपोर्ट, जिसमें 'सतत विकास' () का
विचार उभरा।

1992
International Panel on Climate Change-
The UN

: मान्द्रियल प्रोटोकॉल () यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले
पदार्थों से संबंधित था, जिसमें 2050 तक ओजोन परत को पुनः रिकवर करने के लक्ष्य के साथ
सीएफसी (क्लोरो फ्लोरो कार्बन) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
: जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल ()

IPCC
Framework Convention on Climate Change- FCCC
UN Conference on
Environment and Development-UNCED

() की स्थापना की गई, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ()
के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
करता है।

Earth Summit
Commission on Sustainable
Development-CSD

: रियो-डि-जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ()
() का आयोजन। इसे 'पृथ्वी सम्मेलन'
() भी कहा जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर सम्मेलन

Kyoto Protocol

शामिल थे। इसके तहत 'सतत विकास आयोग' ()
() की स्थापना की गई।

2009
UN Climate Change Conference

: क्योटो प्रोटोकॉल () इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को
सीमित करने के लिये विकसित राज्यों द्वारा कानूनी रूप बाध्यकारी प्रतिबद्धता स्थापित की गई
(2005 में पहली प्रतिबद्धता अवधि, 2008-12 में लागू)

Kalam Academy, Sikar, Jaipur
Call Us : 99828-44044, 93513-44044

: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, () इसे
कोपेनहेगन सम्मेलन शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के
उत्तराधिकारी की स्थापना करने के लिए बुलाया गया।

1980
(Eldersveld)

(Societies)

1989

(Exit Poll)

(1952-1967)

(Congress System)

(One Party Dominance)

(Directed Democracy)

(1967-1989) -

1967

1

- मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का वह रूप है जिसके अन्तर्गत इस बात का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है कि मतदाताओं को कौनसी परिस्थितियाँ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं, कौनसे मुद्दे उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

CSDS (Center for the Study of Developing

- भारत के मतदाताओं के व्यवहार को कई कारक प्रभावित करते रहे हैं। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, राष्ट्रीय हित, राजनीतिक व दलीय विचारधारा, ऐतिहासिक विरासत आदि प्रमुख हैं। आधुनिक अर्थतंत्र व तकनीकी विकास के इस युग में 'चुनावी राजनीति का बाजारीकरण' कॉर्पोरेट जगत व

मोबाइल मीडिया भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व बन गए हैं।

भारत में मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति के अध्ययन व विश्लेषण की शुरुआत द्वितीय आम चुनाव के बाद

शुरू हुई। चतुर्थ आम चुनाव के बाद इस प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। भारत में मतदान व्यवहार मापने की

परम्परा को आगे बढ़ाने का श्रेय **इल्डर्सवेल्ड** वके. विद्वान **असीरुद्दीन अहमद** को है।

- जनमत सर्वेक्षण की लोकप्रियता के दशक में बढ़नी शुरू हुई जब **प्रणव रॉय** ने भारतीय मतदाताओं के मिजाज को जानने के लिए चुनाव के दौरान जनमत सर्वेक्षण संचालित करना आरम्भ किया। **प्रणव रॉय** ने पहली बार मार्केटिंग एण्ड रीचर्य ग्रुप के सहयोग से '**एग्जिट पॉल**' संचालित किया।
- मतदान व्यवहार के सन्दर्भ में जो आनुभाविक व तथ्यात्मक अध्ययन हुए हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक व बहुजातीय तत्वों पर आधारित है। इतने बड़े विविधतापूर्ण समाज में न तो वोट डालने का एक निश्चित मापांक हो सकता है, न ही निश्चित प्रारूप। **योगेन्द्र यादव भारतीय राजनीति का विश्लेषण करते हुए इसकी लोकतांत्रिक राजनीति को तीन चरणों में बांटते हैं -**

प्रथम चरण**- कांग्रेस प्रणाली**

- यह **रजनी कोठारी** द्वारा वर्णित '**कांग्रेस प्रणाली**' वाला चरण था। हालांकि बहुदलीय व्यवस्था थी, चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से सम्पन्न हो रहे थे पर 'एक दलीय प्रभुत्व' कायम रहा।
- योगेन्द्र यादव का मानना है कि पाकिस्तान में अयूब खान व इण्डोनेशिया में सुकर्णो के अधिनायकवादी नेतृत्व में जो '**निर्देशित लोकतंत्र**' का मॉडल विकसित हुआ उसकी अभिव्यक्ति भारतीय लोकतंत्र की '**निर्णय प्रक्रिया**' पर तो लागू नहीं होती थी पर '**विचार**' के स्तर पर भारतीय लोकतंत्र '**निर्देशित लोकतंत्र**' की श्रेणी में आता था। नेहरू का करिश्माई नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी विचारधारा को बोलवाला था।
- इस दौर में मतदान व्यवहार पर कांग्रेस का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान ही मुख्य तत्व था। हालांकि इस '**एक दलीय प्रभुत्व**' वाली व्यवस्था में विचारधारात्मक ध्रुवीकरण नहीं था। आम जनता की राजनीतिक समझ व भागीदारी अभी निम्न स्तर पर थी। अंग्रेजी पढ़ा लिखा उच्च वर्गीय तबका राजनीतिक सत्ता पर हावी था।
- अरेन्ज लिजफर्ट ने कांग्रेस की छाता प्रवृत्ति के कारण उसे - '**विविध हितों वाला एक विशाल गठबंधन**' बताया।
- **रजनी कोठारी** ने कांग्रेसी व्यवस्था को '**एकमत दल**' (कांग्रेस) व '**दबाव वाले अनेक दल**' (कांग्रेस के इर्द-गिर्द के गैर-कांग्रेसी दल) की व्यवस्था बताया है -

दूसरा चरण**कांग्रेस विपक्ष प्रणाली -**

- इस चरण की शुरुआत के चौथे आम चुनाव से हुई जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये चुनाव एक भूकम्प की तरह थे। हालांकि केन्द्र में तो कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई पर 9 राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें आईं। के. कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल जैसे बड़े सिंडिकेट नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया।

(Second Democratic Upsurge) —

(Politics of Ideology to Politics of Identity)

3M -

(Hegemony to Convergence)

1947-1974

1971-1991

1991

ernku O; ogkj dks izHkkf; d;us okys dkjd

oxZ tkfr - /keZ - Hkk"kk - fks=

fyxa da'kokn usf Ro

(Class) —

(Mode of Production)

इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों का जन्म आरम्भ हुआ। नक्सली आन्दोलन आरम्भ हुआ।

अधिन्यायी राजनीति के साथ-साथ जनवादी राजनीति भी हावी होने लगी। राजनीति प्रतिस्पर्धा कड़ी होने लगी। चौधरी चरण सिंह ने गांव, किसान व कृषि को मुद्दा बना औद्योगिकरण की राजनीति को चुनौती दी।

उत्तर में समाजवादियों व दक्षिण में द्रमुक जैसी पार्टियों ने पिछड़ों को शक्ति सम्पन्न बनाने की राजनीति शुरू कर दी।

क्षेत्रीय दलों ने अगड़े-पिछड़े की लामबंदी आरम्भ की। पिछड़ों व दलितों में सत्ता की भागीदारी के प्रति लोकतांत्रिक

आशावाद का संचार हुआ।

लोकलभावनवाद के विभिन्न आयामों (यथा-इन्दिरा का 'गरीबी हटाओ', जनता पार्टी की अन्त्योदय योजना,

चौधरी चरण सिंह की कृषि उत्पादों के उचित दाम व देवी लाल की किसान कर्जा माफी की मांग) ने मतदान

व्यवहार को प्रभावित किया।

(Subaltern Class) - उत्तर कांग्रेस प्रणाली

द्वितीय लोकतांत्रिक लहर

- लोकतंत्र की पहली लहर 1970 के दौर में कांग्रेस पार्टी व इन्दिरा गांधी की समाजवादी व जनवादी राजनीति के अन्तर्गत आई। योगेन्द्र यादव के अनुसार 1970 की इस प्रथम लोकतांत्रिक लहर के बाद 1990 के दशक में 'द्वितीय लोकतांत्रिक जन-उफान/लहर' आई। इस दशक में सामाजिक वंचना, हाशियाकरण व पिछड़ेपन से पीड़ित सभी समूहों की सत्ता में भागीदारी बढ़ी। 'विचारधारा की बजाय पहचान राजनीति'

शुरू हुई। भारतीय राजनीति का 'मण्डलीकरण', 'दलितिकरण', 'हिन्दुकरण'

व 'बाजारीकरण' हुआ। 'मण्डल, मन्दिर व मार्केट' मतदान व व्यवहार के निर्धारक तत्व बन गए।

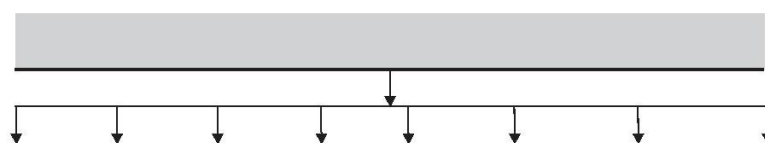
- उत्तर-कांग्रेस प्रणाली आयी। कांग्रेस राज्य दर राज्य पिछड़ती गई। योगेन्द्र यादव व सुहाष पलसीकर के अनुसार - 'प्रभुत्व से गठजोड़' का दौर आ गया।

- हरीश खरे ने भारतीय राज्यों की राजनीति व कांग्रेस की भूमिका को तीन चरणों में बांटा है -

- 'राज्य के लिए सरकार' - कांग्रेस राज्य राजनीति में अपरिहार्य थी।

- 'राज्य की सरकार' - कांग्रेस कमजोर हो रही थी।

- के बाद - 'राज्य की आश्रयहीनता का काल' - कांग्रेस का सफाया होना शुरू हो गया।



1. वर्ग

- वर्ग की संकल्पना चाहे कार्ल मार्क्स के सन्दर्भ में देखें या मैक्स वेबर के सन्दर्भ में, आर्थिक निहितार्थ ही महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत एक जैसी स्थिति के आधार पर पहचाना जाता है। ऐसा समूह या तो उत्पादन प्रणाली का स्वामी होता है या अपने जीवन निर्वाह के लिए श्रम पर आधारित होता है। एक वर्ग संपत्तिशाली व शक्तिशाली होता है और दूसरा वर्ग पराधीन व संपत्तिहीन। इनके अलावा समाज में एक मध्यवर्ग भी होता है, किन्तु उसकी स्थिति अस्थिर रहती है। मैक्स वेबर के अनुसार, वर्ग उन लोगों का समूह है जो श्रम बाजार में एक जैसी स्थिति में रहते हैं।
- वर्ग की संकल्पना भारत में मतदान व्यवहार व राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख निर्धारक तत्व रही है। भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर वर्गीय संबंधों का बड़ा प्रभाव रहा है। वह चाहे उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग, वह चाहे कामगार वर्ग हो या नव मध्यम वर्ग, वह चाहे उपाश्रित वर्ग

हो अथवा दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग, मतदान व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

मतेदान व्यवहार पर वर्ग के प्रभाव को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग-अलग विचार हैं।

रूडोल्फ एण्ड रूडोल्फ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक - 'इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी'

में लिखा है कि - 'भारत में वर्ग - राजनीति नहीं रही। वर्ग की अवधारणा यहां सदैव हाशिए पर रही

है।' किन्तु जॉन हैरिस ने भारतीय राजनीति में वर्ग के महत्त्व को स्वीकार किया है।

हैरिस के अनुसार - "राजनीतिक विश्लेषण की एक श्रेणी के रूप में वर्ग की संकल्पना बिल्कुल धूमिल नहीं है।

वर्गों के अलग-अलग राजनीतिक भूमिका के तर्क के स्वीकार करते हैं तो भारतीय राजनीति में मध्यम वर्ग की

भूमिका रही है, उसकी अनदेखी हो जाएगी।" रोनाल्ड जे. हैरिंग

अपने लेख में जॉन हैरिस वाले मत के समर्थन में लिखते हैं - 'राजनीति चाहे

जो रूप ले वर्ग की अवधारणा जीवन व चयन के भावी वितरण तथा राजनीति के नए रूप की निर्धारक कारक बनी

रहेगी।'

- योगेन्द्र यादव, सुहाष पलशीकर व के.सी.सूरी की प्रसिद्ध पुस्तक

(New Social में जिस 'उत्तर-कांग्रेस प्रणाली'

(1989 के बाद की स्थिति) की

चर्चा की गई उसका मुख्य कारण पिछड़ा वर्ग व दलित वर्ग का कांग्रेस से अलगाव ही था।

- योगेन्द्र यादव, संजय कुमार तथा ओलिवर मेएथ

ने अपने लेख

में मध्यम वर्ग के उभार तथा उसकी भूमिका को - 'नये सामाजिक ब्लॉक/गुट' के रूप में

प्रयोग किया है। व के आम चुनावों में की जीत के पीछे इसी मध्यम

वर्ग, उच्च जातियाँ, भूमिपति व किसान शामिल थे। (Politics of Identity)

योगेन्द्र यादव - 1990 के बाद जिस 'द्वितीय लोकतांत्रिक जन उफान'

की चर्चा करते हैं, उसमें कांग्रेस धीरे-धीरे अल्प संख्यकों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, ग्रामीण व गरीब

मतदाताओं पर निर्भर हो गई। उच्च जातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग तथा उच्च व मध्यम वर्ग कांग्रेस के हाथों से निकलकर

भाजपा व अन्य दलों में चले गए। उभरती हुई किसान जातियों सहित उच्च व प्रभावशाली जातियाँ तथा सापेक्षिक

रूप से आर्थिक व सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त मध्यम वर्ग एक 'नए सामाजिक गुट'

के रूप में उभरा है जो बी.जे.पी. का आधार वोट बैंक है।

2. जाति

- भारतीय राजनीतिक परम्परा में 'जाति' चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। क्रिस्टोफ

जेफरलॉ

अपने लेख -

में लिखते

हैं- "भारतीय जनता अपना मत पार्टी को नहीं देती बल्कि वह अपना मत जाति को देती है।"

। जेफर लॉ के अनुसार - 1990 के

दशक में प्रारंभ हुई 'पहचान की राजनीति'

व तीक्ष्ण सामाजिक - राजनीति दरारों के

कारण मतदाताओं के मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। मण्डल कमीशन व रामजन्म भूमि आन्दोलन

ने जाति समुदाय व धर्म के आधार पर मतदाताओं का धुवीकरण कर दिया। जेफरलॉ ने जाति को 'हित समूह'

के रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ जातियाँ पदसोपानियता की प्रक्रिया में लामबन्द होने की

बजाए अपने समूह व हितों की पहचान पर लामबन्द हुई।

- योगेन्द्र यादव, संजय कुमार व ऑलिवर मेएथ ने से संबंधित जिस

की चर्चा की है।

उसमें उच्च जातियों की भूमिका अहम है।

– “जाति बाकी सभी विचारधाराओं से ऊपर की विचारधारा है।”

– भारत में जाति का राजनीतिकरण इस हद तक हो गया है कि जाति के बगैर यहाँ मतदान व्यवहार का विश्लेषण असंभव सा है। सुरिन्द्र एस. जोधका लिखते हैं – “भारत में जातीय समुदाय एक

महत्वपूर्ण चुनावी उत्पाद है जो एक दबाव समूह

के रूप में कार्य करता है।”

(Agent of Modernity)

रजनी कोठारी लिखते हैं – भारतीय जनता जाति के आधार पर संगठित होती है। जाति के आधार पर वोट डालती है। अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना पड़ता है। यह जाति का राजनीतिकरण है। कोठारी का तर्क है कि – “भारत में जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन में रूकावट नहीं डालती बल्कि इसको प्रोत्साहित करती है।”

(Avtar)

(De-ritualization)

(Secularization of Caste)

(New

(J.P.)

(Gender)

2014

67%

1%

66%

4

– डॉ.एल.सेठ के अनुसार – “वि.-कर्मकांडीकरण और ‘जाति के राजनीतिकरण’ की प्रक्रिया ने भारत में ‘जाति के धर्म निरपेक्षीकरण’ की प्रक्रिया व नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया है।”

– रूडोल्फ व रूडोल्फ के अनुसार – जातियाँ – ‘लोकतांत्रिक अवतार’ है। जातियाँ – ‘आधुनिकता की एजेन्ट’ है।

– एम. श्रीनिवासन ने 1990 की बाद की स्थितियों के लिए कहा कि राजनीति में जाति का ‘नया अवतार’ हुआ है। 3-4

– जय प्रकाश नारायण – “भारत में जाति सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।”

– केरल में इज्वाहा साम्यवादी दल का वोट बैंक है। आंध्र प्रदेश की राजनीति कामा व रेड्डी तथा कर्नाटक की राजनीति – लिंगायत व वोक्कालिंगा जातियों पर केन्द्रित है। गुजरात में क्षत्रिय, बनिया, ब्राह्मण, पाटीदार (पटेल), महाराष्ट्र में मराठा, महार व ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में यादव, जाटव, दलित सवर्ण – पिछड़ों की राजनीति होती है। रूडोल्फ व रूडोल्फ ने जाति को ‘लोकतांत्रिक अवतार’ कहा है। वहीं रजनी कोठारी ने इसे ‘जातियों का लोकतंत्रीकरण’ कहते हैं। रजनी कोठारी – “राजनीति व जाति दो तरफा यातायात है, जो लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वे जातियों से वोट चाहते हैं वहीं जातियाँ सत्ता पुरस्कार चाहती है।”

3. लिंग

– 2014 से पूर्व जेण्डर का कारक मतदान व्यवहार के विश्लेषण में महत्वपूर्ण कारक नहीं था। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिला वोट भी अपने परिवार की इच्छानुसार डालती रही है। के लोकसभा चुनाव में जहाँ पुरुष मतदान था वहीं महिला मतदान सिर्फ कम था।

– 70 के दशक में महिलाओं द्वारा इन्दिरा गांधी के समर्थन में मतदान को अपवाद माना जाता है पर 90 के दशक में लोकसभा व विधान सभा के चुनावों में हाशियाकृत समूहों के साथ-साथ महिलाओं की भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है।

– राजेश्वरी देशपांडे ने योगेन्द्र यादव के चुनावी सर्वेक्षण के आधार पर लिखा है कि महिलाओं की मतदान प्रकृति को समझने के लिए जेंडर का कारक पर्याप्त नहीं हो सकता। कई बार महिलाओं का मतदान व्यवहार जेंडर की बजाए जाति, वर्ग व धर्म जैसे अन्य समीकरणों से तय होता है।

– निष्कर्ष – 1990 के दशक के बाद जेण्डर का तत्व भी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख निर्धारक तत्व के रूप में उभरा है।

4. धर्म व साम्प्रदायिकता

– भाजपा व कांग्रेस देश के दो बड़े राजनीतिक दल हैं। दोनों ने ही धर्म व सम्प्रदाय की राजनीति को प्रकट व अप्रकट रूप में अपनाया है। कांग्रेस पर मुस्लिम तृष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा है तो भाजपा हिन्दुत्व की खुलमखुल्ला राजनीति करती है।

कलाम

- 2005 में गठित सच्चर कमेटी की 2006 में जब रिपोर्ट आई, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश भी तो ने इसे धार्मिक पृथक्तावाद के रूप में परिभाषित करते हुए इसका विरोध किया। जबकि इससे पहले तो 2001 में वाजपेयी सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वैकटचल्लैया की अध्यक्षता में गठित-संविधान समीक्षा आयोग ने पहली बार मुस्लिम पिछड़ेपन को आरक्षण

- से जोड़ा था।
- धार्मिक आधार पर पृथक् राज्यों तक की मांग की जाती है। अकाली दल द्वारा सिक्ख होमलैण्ड की मांग, नागालैण्ड में इसाईयों द्वारा पृथक् राज्य की मांग इसके उदाहरण हैं।

- अल्प संख्यकों की शारीरिक सुरक्षा, समतामूलक व्यवहार व आर्थिक पिछड़ेपन का प्रश्न, उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।

5(2016)

- तमिलनाडु ने के राजनीतिक सुदृढीकरण में 'हिन्दी भाषा' के विरोध की राजनीति का महत्वपूर्ण हाथ था। आन्ध्रा, पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र आदि राज्यों के निर्माण में भाषा ही प्रमुख मुद्दा था। 2014 के चुनाव में भाजपा लहर का सबसे अधिक प्रभाव हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहा।

6. क्षेत्र

- द्रविड़िस्तान की राजनीति, नखलीस्तान (पंजाब) की राजनीति, असम में उल्फा व बोडोलैण्ड, महाराष्ट्र में शिव सेना व मनसे की भूमिपूत्र व मराठी मानुष की राजनीति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं।

7. नेतृत्व

- 1952 से 1967 तक के प्रथम तीन आम चुनावों में रजनी कोठारी द्वारा वर्णित 'कांग्रेस प्रणाली' में नेहरू के करिश्माई नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान था। के आम चुनाव में इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व व नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया।
- व के आम चुनाव - 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' व 'मोदी लहर' से प्रभावित थे। राज्यों की राजनीति में अन्नादुरई (तमिलनाडु), एन.टी. रामाराव (आन्ध्रप्रदेश), ममता बनर्जी (पं. बंगाल), नवीन पटनायक (उड़ीसा), अरविन्द केजरीवाल के व्यक्तित्व व नेतृत्व से प्रभावित रही हैं।
- मोदी लहर पर सवार हो 2014 के बाद बी.जे.पी. ने केन्द्र व राज्यों में जो प्रभुत्वकारी सफलता प्राप्त की है, **प्रताप भानु मेहता** - इसे 'ए बीजेपी, डोमिनैट सिस्टम' कहते हैं।

8. लोकतांत्रिक वंशवाद

- केन्द्र में कांग्रेस तथा कमोबेश प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय दल वंशवाद से संचालित हैं। का आम चुनाव मँहगाई, भ्रष्टाचार व सबका साथ-सबका विकास के साथ-साथ लोकतांत्रिक वंशवाद की खिलाफत के नाम पर भी लड़ा गया। बीजेपी ने 'कांग्रेस मुक्त भारत' व 'गांधी-नेहरू परिवार मुक्त भारत' का आह्वान किया।
- पॉल वालास ने अपनी सम्पादित पुस्तक - 'इण्डियाज 2014 इलेक्शंस' में लोकतांत्रिक वंशवाद को चुनाव का महत्वपूर्ण तत्व माना है।
- कंचन चन्द्रा** ने अपनी पुस्तक - में हालांकि मौलिक रूप से वंशवाद का समर्थन नहीं किया है फिर भी उन्होंने लिखा है - "लोकतांत्रिक वंशवाद" एक आधुनिक व संस्थात्मक परिघटना है। अपने वर्तमान रूप में वंशवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। बल्कि कई मामलों में यह भारतीय लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसने हाशियाकृत व सीमांत समूहों के राष्ट्रीय समावेशन को आगे बढ़ाया है।

1. सेफॉलोजी

- सेफॉलोजी राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत चुनाव व मतदान का मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। सेफॉलोजी के तहत चुनावी आँकड़े, मतदान व्यवहार के आँकड़े, ओपीनियन व एक्जिट पोल, चुनावी खर्च आदि से संबंधित सांख्यिकी आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। योगेन्द्र यादव जैसे विद्वान प्रसिद्ध सेफॉलाजिस्ट हैं।

(B)

(Laakso-Taagepera (Index) सर्वेक्षण) –

(Effective Number of Political Parties) मतदाताओं के मतदान से पहले मतदान से पहले किया जाता है।

(Party System) –

(Effective Numbers of Political Parties) यह चुनावों के बाद का सर्वेक्षण है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मतदाताओं द्वारा वास्तव में किसे मतदान किया गया।

4. राजनीतिक दलों से संबंधित सूचकांक

small Parties)

(Effective Numbers of Parliamentary Parties)

(Wildgen Index)

(Special Weight on

(C)

(D)

(Juan Molinar Index) सूचकांक

(Largest Party)

(Pedersen Index) सूचकांक

(Gallagher Index)

(Party System)

गैल्लाघर सूचकांक

व पेडरसन सूचकांक

4, 935 का अध्ययन करने वाले सूचकांक है।

(Concept):—

(Secular)
(Universalism)
(Fundamentalism)
(Indivisi
(Absolut

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव अधिकार

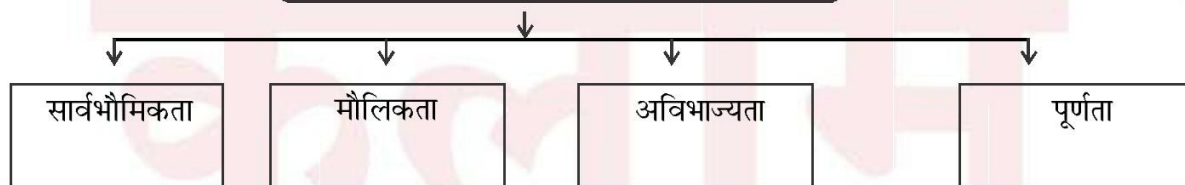
मानव अधिकारों की संकल्पना

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी मनुष्य को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक अधिकारों का एक आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष संस्करण है। मानव अधिकारों की मुख्यतः चार विशेषताएँ हैं—

मानव अधिकारों की मुख्यतः चार विशेषताएँ



ये नस्ल, धर्म, लिंग, राष्ट्र आदि से परे प्रत्येक मानव के लिए होते हैं।

थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा – “हम इस सच्चाई को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मानवों को प्रकृति द्वारा समान बनाया गया है तथा वे अपने निर्माता द्वारा कुछ निश्चित अधिकारों से सम्पन्न हैं।”

मानव के सम्पूर्ण विकास के लिए ये आवश्यक व मौलिक होते हैं। इन्हें छीना या हटाया नहीं जा सकता।

नागरिक-राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार परस्पर संबंधित होते हैं तथा सभी का महत्त्व समान होता है।

• यह मानव जीवन के आधार होते हैं। इनके बगैर जीवन जीने योग्य नहीं होता।

मानव अधिकार वास्तव में नैतिक या दार्शनिक दावे हैं लेकिन 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से उन्हें कानूनी दर्जा भी मिला है। पर इनकी मूल प्रकृति नैतिक ही है क्योंकि महासभा की यह सार्वभौमिक घोषणा देशों के ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू नहीं होती।

मानवाधिकार का अर्थ:-

ये समाज को सभ्य, विकसित और लोकतांत्रिक के रूप से चिह्नित करते हैं।

गेरविर्थ व डॉनले

का मानना है कि मानवाधिकार नकारात्मक दायित्व है जो राज्यों पर कुछ

कार्यों को करने से बचने की जिम्मेदारी डालते हैं। जैसे - यातना, जो अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन के तहत गैर कानूनी है या नस्लीय भेदभाव उन्मूलन कानूनों को लागू करना जो नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन कन्वेंशन के तहत निषिद्ध है।

स्टैनफोर्ड विश्वकोष के अनुसार मानवाधिकारों की चार आधारभूत विशेषताएँ होती हैं -

1. मानवाधिकार मौलिक अधिकार है।
2. मानवाधिकार बहुलवादी है।
3. मानवाधिकार सार्वभौमिक है।

"The Law of Peoples" (1999) उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

जब अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून में निहित होते हैं तो उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। जब अधिकार राष्ट्रीय कानून का हिस्सा होते हैं तो उन्हें नागरिक व संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। ये अमूर्त होते हैं इन्हें वास्तविक घटनाओं के सन्दर्भ में लागू करना सम्भव होता है।

(Universal)

(Liberal Individualism) कानून से परे मानवीय नैतिकता का हिस्सा बनकर भी अस्तित्व में रह सकते हैं, इन्हें कई आधार पर औचित्यपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे - मानवीय कल्याण, मूलभूत हित, मानवीय आवश्यकता, स्वायत्तता, (Progressive) पूर्णता, मानवीय गौरव, समानता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता आदि।

(Both Rights and obligations)

जिसे कुछ समय से मानवाधिकारों के राजनीतिक पक्ष को भी महत्व दिया जा रहा है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक में मानवाधिकार की राजनीतिक अवधारणा को प्रस्तुत किया। रॉल्स के अनुसार,

“मानवाधिकार अतिआवश्यक अधिकारों का एक विशिष्ट वर्ग है।” रॉल्स भी मानवाधिकारों को बहुलवादी व सार्वभौमिक

The Obligation to Respect रॉल्स कुछ सीमित मानवाधिकारों को ही मान्यता देता है। जिसमें कई आधारभूत स्वतंत्रताएँ, राजनीतिक

The Obligation to Protect समानता के अधिकार को नकार दिया जाता है।

The Obligation to Promote नागरिक ढाँचे के अनुसार मानवाधिकारों की तीन केन्द्रीय विशेषताएँ हैं।

Kalam Academy, Sikar, Jaipur :

Call Us : 99828 44044, 93513 44044

2. मानवाधिकार उदारवादी व्यक्तिवाद पर आधारित है।

उदारवादी व्यक्तिवाद

- प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों के पूर्ण और मुक्त अभ्यास

के हकदार है।

3. मानवाधिकार प्रगतिशील होते हैं। मानवाधिकार एक टेलिऑलॉजिकल (उद्देश्यवादी) दिशा में आगे बढ़ते हैं जिसका आशय है कि जो अपने अंतिम उद्देश्य के सन्दर्भ में परिभाषित है और मानव प्रगति और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

मानवाधिकार, अधिकार व कर्तव्य दोनों हैं।

[Just War]

वैश्विक राजनीति के लिये मानवाधिकारों का आशय :

मानवाधिकारों का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

मानवाधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक व मौलिक होती है। जिसके कारण सरकारों के मानवाधिकारों के प्रति विशेष दायित्व होते हैं। मानवाधिकार सरकारों की विदेशी और घरेलू नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। मानवाधिकारों की प्राप्ति व उनकी सुरक्षा में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ये राष्ट्रीय सरकार के व्यवहारों में बड़ी बाधाएँ डालते हैं कि सरकारें घरेलू आबादी व अन्य देशों के लोगों के साथ (Cosmopolitan Sensibilities) केसा व्यवहार कर रही है सरकारों का यह व्यवहार विदेशी मामलों, व्यापार व युद्धों के संचालन को (Human) प्रभावित करते हैं।

Rights are nothing less than a demand of all humanity on all of Humanity)

(Three Elements of Cosmopolitanism) मानवाधिकारों का वैश्विक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। इस सन्दर्भ में मानवाधिकारों की प्रकृति 'सर्वदेशीय संवेदनाओं' Individualism के साथ जुड़ी है।

Universality

Generality लुबान के अनुसार मानवाधिकार पूरी मानवता द्वारा पूरी मानवता के लिए की माँग से कम नहीं है।

×Ùcé Ø ß ÅØçQx ·xè ç¿ 'læ âxêâU

·xè ÛâUè'

ÚUæcÅpUèØlæ ß æxæfæð ·xè AUUßæâU

ç·x° çÕUæ ØäU çßàßæâ ·xè

ÅØçQx ·ðx çÜØð ç¿ 'læ

ãñUÐ

को पूरा



(Natural Rights)

'Bill of Rights',

'Rights of Men'

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

मानवाधिकारों का विकास :-

मानव अधिकारों के आधुनिक विचार का विकास यूरोप में 'प्राकृतिक अधिकारों' के रूप में हुआ।

ह्यूगो ग्रीशियस, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस पेन आदि राजनीतिक दार्शनिकों ने अधिकारों को प्रकृति प्रदत्त व ईश्वर प्रदत्त तथा मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक माना। इन्हें छीना नहीं जा सकता।

ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति (1688) के बाद 1689 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा (1776)

ने 'जीवन, स्वतंत्रता व सुख की साधना' तथा फ्रांसीसी क्रांति के बाद (1789) घोषित - ने प्राकृतिक

अधिकारों के दावों को मजबूत किया।

'Anti-Slavery Society'

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की चर्चा का आरम्भ दास प्रथा की समाप्ति को लेकर हुआ। दास प्रथा की अमानवीय प्रथा की समाप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए तीन प्रयास महत्वपूर्ण हैं -

1. वियना कांग्रेस (1815)
2. ब्रुसेल्स कन्वेंशन (1890)
- 3.

'International Labour Office'

(International Labour Organization)

UNO

UNO

10 December, 1948

UNO

(International Covenant on Civil and Political

Rights) 1966-1976

Kalam Academy, Sikar, Jaipur का मुख्यालय जिनेवा में है।

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

शायद दुनिया का पहला मानवाधिकार से संबंधित था।

युद्धों में जनहानि रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानक निश्चित करने के लिए 'हेग कन्वेंशन' (1907) व 'जिनेवा कन्वेंशन' (1926) अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास थे।

श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए - 1901 में

स्थापित किया गया जो वर्साय की

संधि के बाद 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

बना। 1946 में यह

1919 में गठित राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। पर 24 अक्टूबर, 1945 को गठित

चार्टर में इनका उल्लेख किया गया।

को महासभा ने "मानवाधिकारों की

सार्वभौमिक घोषणा" की। इस घोषणा को कानूनी रूप से लागू करने के लिए 1966 में दो प्रसंविदाएँ की गईं-

1. नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

में लागू हुई।

2. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा - 1966 यह भी 1976 में लागू हुई।

(Vasak 1977)
(Three Generations)
(Three Generations of Human Rights)

Key Theme
मानव अधिकारों की प्रकृति व प्रकार

Generation Type Rights
चेक विद्वान कारेल वसाक ने मानवाधिकारों के तीन प्रकार या 'तीन पीढ़ियाँ' बताई हैं।

मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियाँ

(पीढ़ियाँ)	(प्रकार)	(मुख्य बिन्दु)	(अधिकार)	अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था
प्रथम पीढ़ी (18वीं-19वीं सदी में) (प्रथम विश्वयुद्ध तक) पूँजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में	नागरिक व राजनीतिक अधिकार	स्वतंत्रता	जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति का अधिकार शोषण से मुक्ति प्रेस, धर्म व विवेक की स्वतंत्रता आन्दोलन, विरोध व संघ बनाने की स्वतंत्रता	नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966)
द्वितीय पीढ़ी (20वीं सदी) द्वितीय विश्व में समाजवादी व्यवस्थाओं में	आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार	समानता	सामाजिक सुरक्षा का अधिकार काम का अधिकार शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार छुट्टियाँ व छुट्टियों के भुगतान का अधिकार	आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966)
तृतीय पीढ़ी के अधिकार (1945 के बाद) तीसरी दुनिया से संबंधित से संबंधित	सामूहिक अधिकार	बन्धुत्व	राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का अधिकार शांति का अधिकार विकास का अधिकार पर्यावरण संरक्षण का अधिकार बहुसांस्कृतिक अधिकार	मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन - 1972 रिओ पृथ्वी सम्मेलन - 1992

(Negative Rights & Forbearance)
प्रथम पीढ़ी के अधिकारों को उदारवाद व द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों को समाजवाद द्वारा आकार प्रदान किया गया।

Kalam Academy, Sikar | Jaipur
Call Us : 99828-44044, 93513-44044
समूह या समाज के अधिकारों को पूरे समूह या समाज के अधिकार कहा जाता है। इन्हें सामूहिक अधिकार या जन अधिकार भी कहा जाता है। जबकि प्रथम व द्वितीय पीढ़ी

के अधिकार मूलतः 'व्यक्तिगत' होते हैं।

नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को नकारात्मक और सहनशीलता

के अधिकारों

के रूप में देखा जाता है। क्योंकि इनका आनंद तभी उठाया जा सकता है जब दूसरों पर प्रतिबंध लगाए जाए।



(Genocide Convention) -

(Convention on the Rights of the child)

(Vienna Convention on the Law of Treaty)

प्रमुख अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते व सम्मेलन

'Wo rld Confer

UN

'Office of the United Nations High Commissioner for

UNO

Human Rights (OHCHR)

(Treaty Bodies):-

1950 :- यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स

1951 - नरसंहार कन्वेंशन
सम्मेलन'

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर

1966 - नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा (यह 1976 में लागू हुई।)

(Treaty Bodies)

(Office of the High Commissioner for Human Rights)

1986 - आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा (यह भी 1976 में लागू हुई।)

(1)

1969 - नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन।

1981 - महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन।

(2)

(CCPR):-

1990 - बाल अधिकारों पर सम्मेलन

(Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CERD)

Cultural Rights (CERD)

1993 में वियना (ऑस्ट्रिया) में हुई इस -

के बाद

महासभा ने - 20 दिसम्बर, 1993 को

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :-

की स्थापना की गई।

द्वारा वियना में आयोजित यह मानव

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

अधिकारों की अब तक की सबसे बड़ी कांफ्रेंस थी।

2000 - यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों का चार्टर

संधि निकाय

राज्यों द्वारा कई बाध्यकारी अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों को अपनाया गया जिसमें नस्लीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, यातना, गायब होने के साथ-साथ अधिकारों के मुद्दों से निपटने वाली अन्तराष्ट्रीय संधियाँ शामिल हैं। इसमें बच्चे, विकलांग लोग, प्रवासी, अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोग शामिल हैं।

औपचारिक स्तर पर ये घोषणाएँ, संधियाँ और सम्मेलन अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकारों के कानूनी तंत्र का निर्माण करते हैं।

संधि निकाय जिनेवा, स्विट्जरलैण्ड में मिलते हैं। सभी संधि निकायों

को जिनेवा में 'मानवाधिकार

के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय'

के मानवाधिकार संधि

प्रभाग से समर्थन प्राप्त होता है।

नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर समिति

यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय

अनुबंध (1966) और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति

यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय अनुबंध (1966) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति

(4)

(Committee on the Elimination of Racial Discrimination

(EERD)

नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1965) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

(Committee on the Elimination of Discrimination

Against Women (CEDAW) : महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति

(5)

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (1979) और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1999) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

(6)

टॉर्चर के खिलाफ समिति

:

- टॉर्चर व अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार (1984) के खिलाफ कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

(7)

बाल अधिकारों पर समिति

:

- बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1989) और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल (2000) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

(8)

प्रवासी श्रमिकों पर समिति (

(Committee Against Torture - CAT)

(Committee on the Rights of the Child - CRC) सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1990) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति

Committee on Migrant workers - CMW)

(Committee on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2006) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

- CRPD)

जबरन गुमशुदगी पर समिति

(9)

संधि निकाय द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद राज्य को इसका पालन करना होता है।

(10)

अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय, हेग एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच की जाती है। न्यायालय का दायरा संकीर्ण है। इसमें न्यायिक प्रवर्तन की शक्तियाँ हैं।

(NGO's)

क्षेत्रीय स्तर पर बहुपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्रों की एक संरचना है जो मानवाधिकारों की निगरानी करती है।

जैसे - यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय

Kalam Academy, Sikar | Jaipur : Call Us : 9982844044, 9351344044

- अफ्रीकी संघ द्वारा स्थापित मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग।

गैर-सरकारी संगठन और व्यक्तियों की भूमिका मानव अधिकारों की वकालत के साथ-साथ जवाबदेहिता एक महत्वपूर्ण घटक है।

संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र चार्टर व मानव अधिकार :-

चार्टर में मानव अधिकार संबंधी पृथक् घोषणा तो नहीं है, पर चार्टर में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। चार्टर की प्रस्तावना व अनुच्छेद-1 (जिसमें के उद्देश्यों का वर्णन है) में ही मानव अधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख है। अनुच्छेद-1 'सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतन्त्र और समान पैदा हुए हैं।'

को मानव अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन देने का ही अधिकार है, राष्ट्रों पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।

(Universal Declaration of Human Rights)

26 जून, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर अपनाया जिसके तहत संगठन के प्रमुख उद्देश्य के रूप में मानवाधिकारों की पहचान की गई।
(U.N. Commission on Human

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को अपने तीसरे सत्र में अपनाया गया था।

सदस्य राज्यों के बीच बातचीत की परिणति को चिह्नित करते हुए यह दावा किया गया था कि मानवाधिकार स्वतंत्र लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के अभिन्न अंग थे।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्राथमिक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है। जो आधुनिक युग में मानव अधिकारों की संरचना का गठन करते हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-1948

आर्थिक व सामाजिक परिषद् द्वारा 1946 में स्थापित 'मानवाधिकार आयोग'

ने मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्तों का मसौदा तैयार किया। महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' की। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं।

घोषणापत्र में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया। इसमें काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व दायित्व दोनों हैं। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का अधिकार भी है लेकिन इस घोषणा का स्वरूप बाध्यकारी नहीं है। यह महासभा का प्रस्ताव मात्र है।

इस सार्वभौमिक घोषणा को - 'मानवतावाद का दमकल' कहा गया है। श्रीमती रूजवेल्ट ने इसे समस्त मानव समाज के 'मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी है।

'हम आज संयुक्त राष्ट्र के जीवन और समस्त मानव जाति के जीवन में एक महान् घटना की दहलीज पर खड़े हैं। यह घोषणा हर जगह सभी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मैग्नाकार्टा बन सकती है।' - एलेनोर रूजवेल्ट

चार्ल्स मलिक के अनुसार- "यह घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर चार्टर का अंग है।"

पामर व पार्किन्स के अनुसार - "यह घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं, परन्तु यह एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है।"

Dr. Beniwal
dyke ifCyds'ku

□

(Human Rights - 30 Article)

Free and Equal

Article - 1

Article - 2

Article - 3

Article - 4

Article - 5

Article - 6

Article - 7

Article - 8

Article - 9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Freedom from Discrimination

Right to Life

Freedom from Slavery

Freedom from Torture

Right to Recognition Before The Law

Rights to Equality Before The Law

Access to Justice

Freedom from Arbitrary Detention (

Article - 10

Article - 11

Article - 12

Article - 13

Article - 14

Article - 15

Article - 16

Article - 17

Article - 18

Article - 19

Article - 20

Article - 21

—

—

—

—

—

—

सर्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकारों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।



मानवाधिकार घोषणा-पत्र के 30 अनुच्छेद

- Freedom of Expression (स्वतंत्रता व समानता)
- Freedom of Assembly (भेदभाव से स्वतंत्रता)
- Right to Partake in Public Affairs (जीवन का अधिकार)
- Article - 22 (दासता से मुक्ति का अधिकार)
- Article - 23 (प्रताड़ना/यातना से मुक्ति)
- Article - 24 (विधि के समक्ष मान्यता का अधिकार)
- (विधि के समक्ष समानता का अधिकार)
- Right to Social Security (न्याय तक पहुँच का अधिकार)
- Right ot Work (मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता / मनमानी गिरफ्तारी से रोक)
- Right to Leisure and Rest (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार)
- Kalam Academy, Sikar | Jaipur : (निर्दोषता साबित करने का अधिकार)
- Call Us : 99828-44044, 93513-44044 (निजता का अधिकार)
- (आंदोलन की स्वतंत्रता)
- (शरण का अधिकार)
- (राष्ट्रीयता का अधिकार)
- (विवाह व परिवार का अधिकार)
- (निजी सम्पत्ति का अधिकार)
- (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार)
- (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)
- (सभा करने की स्वतंत्रता)
- (सार्वजनिक भागीदारी का अधिकार / सार्वजनिक मामलों में भागीदारी का अधिकार)
- (सामाजिक सुरक्षा का अधिकार)
- (काम का अधिकार)
- (आराम व अवकाश का अधिकार)

Right to Adequate Standard of Living	(पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार)
Right to Education	(शिक्षा का अधिकार)
Article - 26	
Article - 27	(सांस्कृतिक, कलात्मक व वैज्ञानिक)
Right to Cultureal, Artistic and Scientific Life	(जीवन का अधिकार)
Article - 28	(निष्पक्ष रूप से विश्व भ्रमण का अधिकार)
Article - 29	(अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य)
Article - 30	(संलग्नता का अधिकार)

मानव अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा / प्रतिज्ञापत्र

सार्वभौमिक घोषणा चूँकि प्रस्ताव मात्र थी अतः मानव अधिकारों की ओर अधिक स्पष्ट व्याख्या व उनका पालन सुनिश्चित करवाने के लिए महासभा ने दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ 1966 में स्वीकार की। इन प्रसंविदाओं का उद्देश्य था कि इन्हें सदस्य राज्यों के सम्मुख संधि पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तथा हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों पर ये बाध्यकारी रूप से लागू हो। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र अपने-अपने देश में इनके अनुसार आवश्यक कानून बनाए (International Covenant on Human Rights)

ये प्रसंविदाएँ 1966 में स्वीकार की गईं तथा 1976 में निर्धारित संख्या में राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू कर दी गईं।

इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में दो प्रसंविदाएँ व एक ऐच्छिक प्रोटोकॉल है, जो इस प्रकार है -
नागरिक व राजनीतिक अधिकारों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा -

[International Covenant on Civil and
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा -

[International Covenant on
Political Rights) - 1966 व राजनीतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की वैकल्पिक व्यवस्था

ii. Economic, Social and Cultural Rights] - 1966

उपरोक्त दोनों अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ - 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित हैं। 1948 की सार्वभौमिक घोषणा व 1966 की दोनों प्रसंविदाएँ मिलकर - 'मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक' के रूप में जानी जाती है।
(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)

(International Bill of Human Rights) (मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक)

International Bill of Human Rights
(Universal Declaration of Human Rights) - 1948

- नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

(International Covenants on
Rights) (UDHR) - आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा
civil and political Rights) - 1966 (ICCPR)

[International
Covenants on Economic Social and cultural Rights - 1966] (ICESCR)

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :
Call Us : 99828-44044, 93513-44044

1.
(UN Commission on Human Rights)
(ECOSOC)

2.
“Office of the High Commissioner for Human Rights” (OCHHR)
High Commissioner – Volker Turk
मानवाधिकार आयोग

3.
(UN Human Rights Council)
(NGO's) —
(Political Prisoners)
(Prisoners of Conscience)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त :
(Peter Benenson)
(Forgotten Prisoners)

Kalam Academy, Sikar, Jaipur
Call Us : 9982844044, 9351314404

- उच्चायुक्त सार्वभौमिक घोषणा, अन्य मानवाधिकार संबंधी प्रतिज्ञापत्रों व कन्वेंशन में किए गए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाता है।
- मुख्यालय - जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड)
- वर्तमान उच्चायुक्त (

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्

- इसकी स्थापना महासभा ने 2006 में की।
- इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है।
- मुख्यालय - जिनेवा
- सदस्य - 47 (चुनाव महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए, कोई भी देश को दो बार से ज्यादा निरन्तर सदस्य नहीं बन सकता)
- उद्देश्य - वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देना व उनका संरक्षण करना।

मानव अधिकारों से संबंधित प्रमुख गैर-सरकारी संगठन

1. एमनेस्टी इन्टरनेशनल -

स्थापना - 1961

मुख्यालय - लंदन

संस्थापक - पीटर बेन्सन

मुख्य बल - राजनीतिक कैदियों , ‘भूल गए कैदियों’ या ‘अन्तरात्मा के कैदियों’ के अधिकारों पर विशेष बल।

- पीटर बेन्सन ने राजनीतिक कैदियों को “भूल गए कैदी” व “अन्तरात्मा के कैदी” कहा।
- 1977 में शांति के नॉबेल पुरस्कार से सम्मानित
- 1978 में मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Anti-Slavery International - एमनेस्टी इन्टरनेशनल की व्यापकता के बारे में एल्स्टन ने कहा एमनेस्टी को व्यापक रूप से मानव अधिकारों की वकालत के क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख बल माना जाता है जो अन्य समूहों को एक साथ रखने की तुलना में भी अधिक प्रभावशाली है।

2. रेड क्रॉस -
UN Watch - स्थापना - 1863
(Oxford Committee for Famine)
(Universalism / Relativism) - मुख्यालय - जेनेवा

संस्थापक - हेनरी ड्यूनेंट व गुस्ताव मॉयनिअर

3. ह्यूमन राइट्स वॉच -
स्थापना - 1978
मुख्यालय - न्यूयॉर्क
इसे हैलसिंकी वॉच भी कहा जाता है।
उद्देश्य - पूर्वी यूरोपीय असन्तुष्टों के समूहों को जवाब देने के लिये।

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :

Call Us : 9982844044, 93513-44044

मुख्यालय - ब्रुसेल्स (बेल्जियम)

5. स्थापना - 1839
मुख्यालय - लन्दन

6. स्थापना - 1993
मुख्यालय - जिनेवा

7. ऑक्सफैम

आधार वाक्य - “भविष्य समान है”

स्थापना - 1942

मुख्यालय - नैरोबी (कैन्या)

8. लैण्डमाइन ट्रीटी-1997

मानव अधिकारों की अवधारणा पर विवाद

सार्वभौमिकता / सापेक्षिकता

पर आक्षेप

मानव अधिकारों की अवधारणा को लेकर प्रमुख विवाद यही है। मानव अधिकारों की उदारवादी अवधारणा इन्हें सार्वभौमिक मानती है। मानव अधिकार किसी भी मनुष्य को मानव होने के नाते प्राप्त है। अतः ये लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, काल, राष्ट्र आदि से निरपेक्ष है। ये अधिकार मूलतः व्यक्तिवादी प्रकृति के हैं। पर दार्शनिक रूप से इस सार्वभौमिकतावाद को समुदायवादी, साम्यवादी व उत्तर-आधुनिकतावादी चुनौती देते हैं।

समुदायवादियों (टेलर, सेन्डल, वॉल्जर) के अनुसार व्यक्ति असामाजिक, अणुवादी व समुदाय से परे नहीं होता। प्रत्येक स्व समुदाय में अन्तर्निहित है। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का हिस्सा है। समाज ही उसकी इच्छाओं, मूल्यों व उद्देश्यों को आकार देता है। इसलिए किसी व्यक्ति के अनुभव व विश्वास को उसके विशिष्ट सामाजिक सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है।

उत्तर-आधुनिकतावादी (बोद्रीयार्ड, डेरिंडा, मिशेल फूको) 'ज्ञानोदय' की आलोचना करते हैं। इनके अनुसार यथार्थ (सत्य) खण्डित व बहुलवादी प्रकृति का होता है। सत्य व्यक्ति, काल, स्थान व परिस्थिति सापेक्ष होता है। कोई भी सत्य सार्वभौमिक व निरपेक्ष सत्य नहीं होता। जीन फ्रॉकोइस ल्योटाई ने उत्तर-आधुनिकता को 'महान् वृत्तान्तों के प्रति अविश्वास' के रूप में परिभाषित किया है। अतः मानवाधिकार सार्वभौमिक प्रकृति के न होकर राजनीतिक व संस्कृति सापेक्ष है। **साम्यवादियों** के अनुसार मानवाधिकार, मानव मात्र की बजाए 'बुर्जुआ विप्लववादी' हैं।

राजनीतिक विवाद

Orientalism (1978)

A. 1. उत्तर - औपनिवेशिक आलोचना :-

B. उत्तर औपनिवेशिक सिद्धान्तकारों के अनुसार मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा जिसका स्वरूप
C. मूलतः उदारवादी है, यह पश्चिमी राष्ट्रों के 'सांस्कृतिक साम्राज्यवाद' का विस्तार है। एडवर्ड सईद की प्रसिद्ध कृति
D. - में 'यूरो - केन्द्रिता' (यूरो सेंट्रिक) की आलोचना की गई है। पश्चिमी देश अपनी ही
(1948) राजनीतिक व सामाजिक संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं तथा पूर्वी संस्कृतियों व उनकी परम्पराओं को पिछड़ी मानते हैं।
USSR अतः मानवाधिकारों की अवधारणा यूरोप के सांस्कृतिक व राजनीतिक प्रभुत्व का प्रकटीकरण मात्र है।

2. एशियाई मूल्यों की संकल्पना :-

Kalam Academy, Sikar, Jaipur :
Call Us : 99828-44044, 93513-44044
जून 1993 में मानव अधिकारों की वियना कांग्रेस हुई, वही मार्च, 1993 में मानव अधिकारों की बैंकॉक घोषणा हुई। इस घोषणा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के खिलाफ 'एशियाई मूल्यों' को वरीयता दी गई। महाथिर मोहम्मद (मलेशिया राष्ट्रपति) व ली कुआन यू (सिंगापुर के राष्ट्रपति) काफी पहले से ही 'एशियाई मूल्यों' पर बल दे रहे थे।

एशियाई मूल्यों की बहस -

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पश्चिमी उदारवादी पूँजीवादी मूल्यों से प्रभावित है।

मानवाधिकारों के रूप में व्यक्तिवाद को समाज व समुदाय पर वरीयता दी जा रही है।

अधिकारों को कर्तव्यों की तुलना में ज्यादा वरीयता दी गई है।

सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों की बजाए नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

3. साम्यवादी आलोचना -

सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित मानवाधिकारों को व तात्कालिक साम्यवादी राज्यों ने "बुर्जुआ अधिकार" कहा तथा इसे 'शीत युद्ध का घोषणा पत्र' कहा। इनके अनुसार इनमें सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की अवहेलना की गई है।

4. इस्लामिक आलोचना :-

इस्लामी विद्वानों ने भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता पर प्रश्न चिह्न लगाया है। उनका मानना है कि मानवाधिकार मूलतः पाश्चात्य सांस्कृतिक मूल्यों व विरासत की देन है। इनमें व्यक्तिवाद, भौतिकवाद व पंथनिरपेक्षता जैसे मूल्य हावी हैं। जबकि इस्लाम में व्यक्ति की बजाए खुदा महत्वपूर्ण है, धर्म निरपेक्षता की बजाए धर्म महत्वपूर्ण है, समुदाय महत्वपूर्ण है, शरीयत महत्वपूर्ण है।

(Sex)

5. नारीवादी आलोचना :-

नारीवादी मानवाधिकारों को पितृसत्तात्मक से ग्रसित मानते हैं। ये अधिकार महिलाओं के 'निजी जीवन' के शोषण पर मौन हैं।

(i)
(ii)
(Holocaust)

स्त्रियों से संबंधित समस्याओं को महत्व न देने के कारण नारीवादियों ने अपना विरोध प्रकट किया है। इनके अनुसार घरेलू हिंसा, गर्भधारण करने की स्वतंत्रता, स्त्रियों की तस्करी, लड़कियों को सेक्स व्यापार में धकेलने जैसी समस्याओं को मानवाधिकारों में उचित महत्व नहीं दिया गया है।

(Nuremberg
(iii)

6. बहुसंस्कृतिवादी आलोचना:-

Kalam Academy, Sikar, Jaipur :

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

बहुसंस्कृतिवादी अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारों की माँग करते हैं।

नाम चॉमस्की - 'अमेरिका ने मानवाधिकारों का प्रयोग अपने प्रभुत्व की महत्वकाँक्षाओं के लिये नैतिकता के रूप में किया है।'

मानवाधिकार उल्लंघन :- मानवाधिकारों के हनन की घटनाएँ

1989 थियानमेन स्क्वायर की घटना (चीन)

महाविध्वंस - नाजी तानाशाहों द्वारा यहूदियों के साथ (जर्मनी)

न्यूरेमबर्ग - जर्मनी का मुकदमा - जर्मन युद्ध बंदियों को मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराधों का दोषी करार दिया गया।

A C A D E M Y

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

(Non- State Actor)
(Proxy War)
(Globalization)

1960-70 के दशक से आतंकवाद राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। अमेरिका (Baader - meinhof Group), (Angry Brigade) सितम्बर, 2001 को हुई आतंकवादी घटना के बाद 'गैर - राज्य अभिकर्ता / अभिनेता (Non - State Actor) आतंकवाद पर नई बहस शुरू हुई। हालाँकि तृतीय विश्व के देश काफी पहले से आतंकवाद की समस्या (Goodin) से पीड़ित थे, पर पाश्चात्य देश शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस समस्या के रूबरू हुए। 21वीं सदी की शुरूआत (Weapon of the weak) से ही आतंकवाद की शक्ल में दृश्य - अदृश्य 'छाया - युद्धों' का अन्तहीन सिलसिला चल पड़ा है। वर्तमान में आतंकवाद का भी वैश्वीकरण हो गया है। इसकी पहुँच व विनाश का दायरा अत्यन्त व्यापक हो गया है।

(Asymmetric) आतंकवाद जिसे एक आधुनिक घटना माना जाता है, की व्यापक उपस्थिति व के दशक में महसूस की गई जब अराजकतावदी हिंसा की बड़ी लहर आई। इस लहर के तहत पश्चिमी जर्मनी में 'बाडर - मीनहॉफ गुप' (Proxey War) इटली व जापान में 'रेड आर्मी ग्रुप्स' व ब्रिटेन में एंग्री ब्रिगेड ने आतंकवादी घटनाओं को अजायब बना दिया।

Kalam Academy, Sikar | Jaipur
Call Us : 9982844044, 9351344044

आतंकवाद अर्थ व परिभाषा :-

आतंकवाद -

- गैर राज्य अभिनेता होता है।
- इसके तहत हिंसात्मक कृत्य सम्पन्न किए जाते हैं।
- गुडिन के अनुसार "आतंकवाद राजनीति हिंसा का एक रूप है जिसका उद्देश्य भय व आशंका का माहौल बनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है।"
- आमतौर पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाता है।
- यह जनमत को प्रभावित करने की एक मनोवैज्ञानिक युक्ति है।
- यह 'कमजोर का हथियार' होता है अतः इसका प्रयोग उन समूहों द्वारा किया जाता है जो अपने विरोधियों के खिलाफ पारम्परिक सशस्त्र युद्ध नहीं कर सकते।
- विटकॉफ - "आतंकवाद अशक्त लोगों द्वारा शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध एक रणनीति है।"
- आतंकवाद - 'विषम युद्ध' व 'छद्म युद्ध' का उदाहरण है।
- पॉल विल्किन्सन ने आतंकवाद की व्याख्या उस नीति या प्रक्रिया के रूप में की है, जिसमें तीन मूल तत्व होते हैं-

(Palestine Liberation Organization)

(Black September)

के रूप में चित्रित करते हैं।

IRA (Irish Republican Army)

ETA (Euzkadi ta Askatasuna)

FLO - (Front de Libération de la Occident)

(Audrey Kurth Cronin)

(Ethno SææcXU·æ (Religions) /

(Left wing Terrorist) क्यूबेक में

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

आधुनिक आतंकवादी समूहों को उनकी प्रेरणा स्रोत के आधार पर

(Sacred Terrorist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

(Separalist)

आतंकवाद को व्यवस्थित शस्त्र के रूप में प्रयोग करना।

सामान्य से अधिक हिंसा की धमकी या हिंसक कृत्य।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जनमत पर इस हिंसा का प्रभाव।

इस प्रकार आतंकवाद एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक राजनीतिक आन्दोलन के विचाराधीन यह राज्य सत्ता की वैधता या अवैधता का निर्धारण करने का एक साधन है।

राजनीतिक हिंसा का एक रूप है जिसका उद्देश्य भय, आशंका व अनिश्चितता की स्थिति पैदा करके अपने उद्देश्य को पूरा करना है। आतंकवादी कार्यवाही के सबसे प्रमुख रूपों में हत्याएँ, बम विस्फोट और बंधक बनाना व विमान अपहरण शामिल हैं। विशेष रूप से आतंकवाद को सरकार विरोधी गतिविधि के रूप में चित्रित किया जाता है।

उपरोक्त अपने स्वयं के या अन्य आबादी के खिलाफ सरकारों द्वारा उपयोग में लेने वाले आतंक को राज्य आतंकवाद के रूप में चित्रित करते हैं।

1945 तक आतंकवाद राष्ट्रव्यापी रहा। 1940 और 1950 के दशक में अफ्रीका, एशिया और मध्य-पूर्व में तीसरी FLO - (Front de Libération de la Occident) से जुड़ा। इसे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों जैसे - फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन

तथा ब्लैक सितम्बर जैसे समूहों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग में लिया।

पश्चिमी समाजों में आतंकवाद का प्रयोग राष्ट्रीय व जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा किया गया। जैसे -

(Audrey Kurth Cronin)

(Ethno SææcXU·æ (Religions) /

(Left wing Terrorist) क्यूबेक में

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

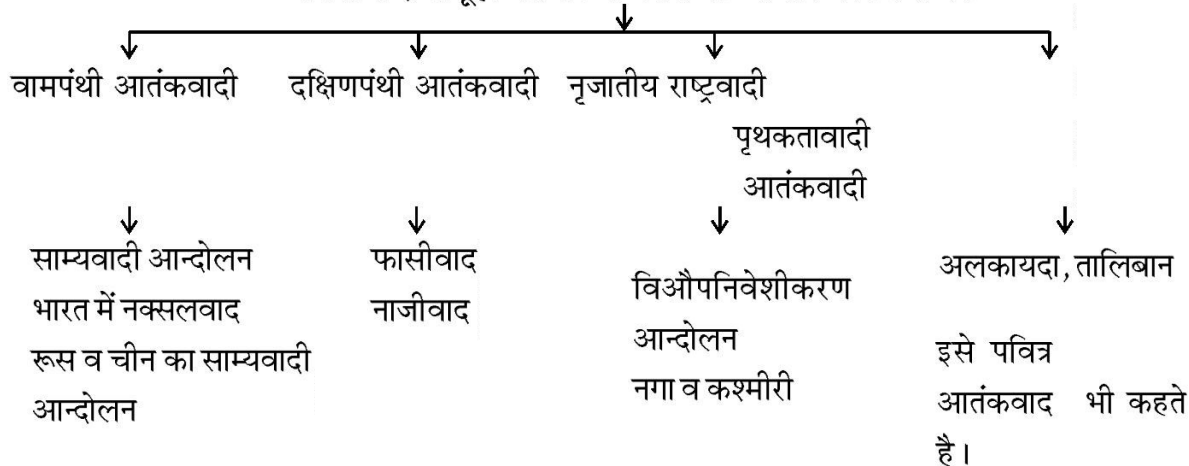
(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

(Right Wing Terrorist)

आतंकवादी समूहों को प्रेरणा स्रोत के आधार पर विभाजन



(Michael Ignatieff)

'The lesser Evil : Political Ethics
in an Age of Terror (2004) 9/11

(New Terrorism)
USA

1. ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक -
में के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद उत्पन्न नवीन प्रकार के आतंकवाद
(Insurrectionary Terrorism) के चार प्रकार बताए हैं -

2. (Loner or Issue Terrorism) विद्रोही आतंकवाद इसका उद्देश्य राज्य सत्ता को क्रांतिकारी तरीके से
USA उखाड़ फेंकना होता है। अराजकतावादी व क्रांतिकारी साम्यवादी इसी प्रकार के आतंकवादी हैं।

(Aum-Shinryko) 1995 एकल या मुद्दा आधारित आतंकवाद इसका एकल उद्देश्य होता है।
उदाहरण की गर्भपात क्लिनिक पर बमबारी या धार्मिक पंथ औम शिनरिक्त्यो द्वारा
में टॉक्यों मेट्रो पर नर्व गैस द्वारा हमला। इस प्रकार के आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य प्रचार पाना होता
है।

3. राष्ट्रीयवादी आतंकवाद इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन या कब्जे को
(Nationalist Terrorism) उखाड़ फेंकना होता है। यह सह-जातीय, धार्मिक या राष्ट्रीय समूह के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है।
(LITTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam) फिलिस्तीन व इजराइल में हमास, लेबनान में हिज्जबुल्ला या श्रीलंका में लिट्टे

ग्लोबल आतंकवाद इसका उद्देश्य वैश्विक शक्ति को क्षति
पहुँचाना या उसको अपमानित करना होता है। यह वैश्विक सभ्यतागत संबंधों
(Global Terrorism) — को बदलना चाहता है। उदाहरण - इस्लामी आतंकवादी, अलकायदा आदि।
(Global Power)
(Global Civilizational)

समय में प्रचलित आतंकवाद को चार प्रकार से और विभाजित किया जा सकता है।

1. नवीन आतंकवाद
(New Terrorism) :—

2. वैश्विक आतंकवाद

3. प्रलयकारी आतंकवाद

4. राज्य आतंकवाद
(Field) :—

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :

Call Us : 99828-44044 93513-44044

आतंकवाद का यह रूप अपने संगठन, राजनीतिक चरित्र, प्रेरणाओं और रणनीतियों की प्रकृति के कारण 'पारम्परिक
आतंकवाद' की तुलना में अधिक कट्टरपंथी व विनाशकारी होता है। परम्परागत आतंकवाद का चरित्र जहाँ धर्म निरपेक्ष
था वहीं नवीन आतंकवाद धार्मिक प्रेरणाओं से प्रेरित होता है।

फील्ड नवीन आतंकवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आतंकवाद के लिए धार्मिक प्रेरणाओं
ने धर्मनिरपेक्ष प्रेरणाओं को बदल दिया है।

(Nihilism) परम्परागत आतंकवाद राष्ट्रीय आन्दोलनों या साम्यवादी आन्दोलनों के रूप में था। इसका चरित्र राजनीतिक था। वही
(Sageman) नवीन आतंकवाद चरित्र धार्मिक है।
'Leader less Jihad' पारम्परिक आतंकवादी राजनीतिक परिवर्तन या अपनी मांगों की आंशिक पूर्ति से संतुष्ट हो जाते थे जबकि नवीन
आतंकवाद के साथ समझौता मुश्किल है। यह शून्यवाद बिना निश्चित सिद्धान्त वाला या तीव्र परिवर्तित
अस्थायी सिद्धान्त से ग्रसित है।

नवीन आतंकवाद का दायरा ज्यादा व्यापक होता है तथा यह 'नेतृत्व विहिनता' में भी कार्य करता रहता है। उदाहरण
स्वरूप - अलकायदा को एक संगठन की बजाए विचार के रूप में अधिक चित्रित किया जाता है। इसका नेटवर्क
(Wilkinson) कोशिका की तरह फैला हुआ होता है तथा काफी शिथिल होता है। सेजमैन ने इसे -
(Copeland) (नेताविहिन जिहाद) कहा है।

2. (Global Terrorism) ने नये व पुराने आतंकवाद में अन्तर किया। इनके अनुसार पारंपरिक आतंकवाद सैन्य
शैल के कमाण्ड और नियंत्रण को नियोजित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं जबकि नया आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क
L.P.G. के भीतर कोशिकाओं की तरह जुड़े हैं व अधिक विस्तृत रूप से फैले हैं।
(Globlization)

A. नये पुराने आतंकवाद के अंतर को कोपलैण्ड ने नकारा है। इसके अनुसार नये व पारम्परिक आतंकवाद
के मध्य का विभाजन "काफी कृत्रिम व अतिशेयक्तिपूर्ण" है।

B. वैश्विक आतंकवाद
(International Migration Flows)

C. आधुनिक समय में आतंकवाद का आयाम वैश्विक हो गया है। इसके भूमण्डलीकरण में की मुख्य भूमिका
Kalam Academy, Sikar | Jaipur : है। आधुनिक आतंकवाद का वैश्वीकरण का बच्चा कहा जाता है। इसके पीछे ये कारण हैं।
Call Us : 99828-44044, 93513-44044

वैश्वीकरण के कारण मानवों, माल, पूँजी, प्रौद्योगिकी व विचारों का क्रॉस बॉर्डर प्रवाह बढ़ा है। गैर- राज्य
अधिकर्ता के रूप में आतंकवादी समूहों ने इस 'अति-गतिशीलता' का फायदा उठाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन ने आतंकवादी अभियानों के लिए कार्यकर्ता, समर्थन
व वित्त उपलब्ध करवाया है। जैसा कि तमिल टाइगर्स के साथ हुआ। विश्वभर में फैले तमिल समुदाय ने
इसकी मदद की।

वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण व पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभुत्व को पैदा किया है। जिसके प्रतिक्रिया-स्वरूप
धार्मिक पुनरुत्थानवाद की अभिव्यक्ति के रूप में इस्लामवादी जिहादी आतंकवाद पैदा हुआ है।

हिंसक इस्लामी चरमपंथियों की तीन पीढ़ियाँ

पहली पीढ़ी	दूसरी पीढ़ी	तीसरी पीढ़ी
(Ardit Ferizi) (Mustafa Setmeh) अलकायदा के संस्थापक। सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े। 1994 में ओसामा बिन लादेन से गठबंधन किया। ओसामा बिन लादेन व इनके मध्य विचारों में मतभेद था कि किससे लड़ना है जहां लादेन का मानना था कि 'दूर दुश्मन; संयुक्त राज्य अमेरिका (पश्चिम) से लड़ना जरूरी था जो इस्लाम के खिलाफ कई कथित अन्यायों के लिए जिम्मेदार था।' अन्य ने धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक राज्यों पर शासन करने वाले निकट शत्रुओं को उखाड़ फेंकने की वकालत की। (Ray) - (Twitter Revolution) 3. (Catastrophic Terrorism)/ (Hyper Terrorism) :— (Sprinzak) (Hyper - Terrorism) (WMD) USA	मुस्तफा सेटमरियम नासर इसे 'अबू मुसाब अल सूरी' या 'द सीरियन' के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ाई लड़ी और स्पेन, अल्जीरिया व अन्य जगहों पर स्थानीय जिहाद का समर्थन किया। 9/11 से पहले यह अफगानिस्तान में लादेन से जुड़ा एक प्रशिक्षण शिविर चलाता था। अलकायदा के पारंपरिक श्रेणीबद्ध संगठन के खिलाफ अमेरिका और भागीदारी राष्ट्र के प्रयासों की प्रभावशीलता का पूर्वाभास किया। इसने जिहाद की 'गुप्त गुरिल्ला' विधि को अपनाया जिसमें असंबद्ध सेल शामिल जो पहली पीढ़ी के बजाय अलग प्रकार की सेल है। इसने अपने ज्ञान और कौशल को अगली पीढ़ी के आतंकवादी इस्लामी आतंकवादियों को वस्तुतः हस्तांतरित कर दिया।	अर्दित फेरिजी हिंसक इस्लामी चरमपंथ के समर्थक फेरिजी एक कोसावर समूह का नेतृत्व करता था जिसे कोसावा हैकर की सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। इसमें अमेरिका में स्थित कंपनी को हैक कर डाटा चोरी कर आई.एस.आई. को साक्षा किया।
रॉय ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के अवलाकी की मौत व इस्लामिक स्टेट के पतन के साथ संयुक्त रूप से 'अरब बसंत और द्वाघ्रि क्रान्ति' के कारण कुछ लोग सुझाव देते हैं कि हिंसक इस्लामी आतंकवाद अपने अंतिम चरण में है।	वैश्विक जिहाद का उदय इस्लामवाद के पतन के पतन का प्रतीक था ना कि इसके पुनरुत्थान का।	अलकायदा के अवलाकी की मौत व इस्लामिक स्टेट के पतन के साथ संयुक्त रूप से 'अरब बसंत और द्वाघ्रि क्रान्ति' के कारण कुछ लोग सुझाव देते हैं कि हिंसक इस्लामी आतंकवाद अपने अंतिम चरण में है।

प्रलयकारी आतंकवाद

अति-आतंकवाद

आधुनिक आतंकवाद को **कार्टर** ने 'विनाशकारी / प्रलयकारी आतंकवाद' कहा है जबकि **स्पिन्जक** ने 'अति-आतंकवाद' कहा है। 9/11 के हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। 'जनसंहार के हथियार' तथा 'परमाणु तकनीक' तक आतंकवादी संगठनों की पहुँच प्रलयकारी क्षमता को और बढ़ा देगी। आतंकवादी समूहों ने एन्थ्रेक्स जैसे जैविक हथियारों का प्रयोग तो शुरू भी कर दिया। 9/11 के हमले के बाद तात्कालिक राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश ने कहा - 'हर देश को अब एक निर्णय करना है- आप या तो हमारे साथ हैं या फिर आतंकवादियों के साथ।'।

एलीसन 'जब तक दुनिया में सभी परमाणु सामग्रियों को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए एक वैश्विक गठबंधन नहीं बनाया जा सकता तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक और परमाणु आतंकवादी हमला होने की अपरिहार्य संभावना लम्बे समय तक बनी रहेगी।'

(Allison) :— अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद वैश्वीकरण से जुड़ा है जिसमें यह लोगों, वस्तुओं, धन, प्रौद्योगिकी और विचारों के बढ़ते प्रवाह का लाभ उठाता है। यह धारणा बनाता है कि आतंकवादी किसी भी समय कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसे ही **विनाशकारी** या अति-आतंकवाद के नाम से जाना जाता है।

इसका मुकाबला करने में कठिनाइयाँ हैं क्योंकि आतंकवादी रणनीति पर अधिक जोर देते हैं। जिसका प्रयोग आत्मघाती आतंकवाद के रूप में करते हैं अतः इससे बचाव करना मुश्किल है। (जैसे - मानव बमों का प्रयोग)।

Suicide Terrorism : (Weapon of Mass Destruction) आतंकवाद का एक रूप जिसमें अपराधी हमले को अंजाम देने की प्रक्रिया में खुद को मारने का इरादा रखता है।

4. आतंकवादियों द्वारा आधुनिक तकनीक और विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। न केवल आतंकवादियों की पहुँच सामूहिक विनाश के हथियारों तक बढ़ी है बल्कि इनका उपयोग करने की इच्छा भी बढ़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आतंकवादियों की नई पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना नैतिक व मानवीय सिद्धान्तों से कम विवश है।

राज्य प्रेरित आतंकवाद

यह सरकारी निकायों द्वारा किया जाने वाला आतंकवाद है जिसमें पुलिस, सेना या खुफिया एजेंसियाँ शामिल हैं।

नॉम चॉम्स्की व **फॉक** जैसे विचारक मानते हैं कि निहत्थे नागरिकों व निर्दोषों की हत्या में गैर - राज्य अभिनेताओं के अलावा राज्य भी काफी आगे हैं। 'राज्य आतंकवाद' तो 'थोक आतंकवाद' है जबकि 'गैर - राज्य आतंकवाद' - 'खुदरा आतंकवाद' है। राज्य की शक्ति व क्षमता, गैर - राज्य अभिनेता की बजाए ज्यादा होती है। वह उसका प्रयोग हिंसा के रूप में या तो स्वयं के नागरिकों पर करता है ताकि खुद को सत्ता में बनाए रख सके या अन्य देशों में अपना आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है।

नॉम चॉम्स्की संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का प्रमुख आतंकवादी देश मानते हैं। एक अन्य विचारक अल्थाइड, के अनुसार - "9/11 के हमले के बाद ने 'आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध'

(Whole Sale Terrorism) आह्वान किया। इस आह्वान का उद्देश्य 'भय की राजनीति' था। इसके द्वारा अमेरिका (Retail Terrorism) ने आतंकवाद का अतिरंजित भय पैदा कर अपने वैश्विक प्रभुत्व में वृद्धि के साथ ही 'मध्य पूर्व' के (Altheide) तेल समृद्ध देशों में अपनी पहुँच बढ़ा ली।"

(Terror) राज्य प्रेरित आतंकवाद को कई बार - "गन्दे हाथों की आवश्यकता" के रूप में चित्रित USA किया जाता है। 'गन्दे हाथ का सिद्धान्त' जो कि माइकल वाल्जर की देन है, यह मानता है कि सार्वजनिक नैतिकता, (War on (Politics of Fear)) निजी नैतिकता से अलग होती है। राजनीतिक नेताओं के लिए 'गलत करना' भी 'सही' हो सकता है। अगर यह (Hegemony) सार्वजनिक नैतिकता में लिए व राजनीतिक समुदाय की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

(Need of Dirty Hands) Kalam Academy, Sikar | Jaipur :

Call Us : 99828 44044, 93513 44044

Dr. Beniwal
dyke ifCyds'ku
(United Liberation
front of Asom)
Hum
(HUJI -

JAT - विभिन्न आतंकी संगठन व संबंधित देश :-
(JI)

Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), IS, इण्डियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, उल्फा
ISIS

U.K. - मुक्ति सेना, मोहम्मिद बोमी, मुवमेन-तहरीक-ए-तालीबान, लश्कर-ए-झांगवी, (हरकत उल मुजाहिदीन),
Liberation Tiger of Tamil Eelam - LTTE) हरकत-ए-झांगवी
(Combating Terrorism)

अफगानिस्तान - हकानी नेटवर्क, अलकायदा।

नाइजीरिया - बोको हराम

सोमालिया - अल-शबाब

लेबनान - हिज्जबुल्ला

बांग्लादेश - हुजी (हरकत-उल-जिहाद - अल ईस्लाम)

जमहा अन्सरत तोहिद, जेमाह ईस्लामिया

पेरू - साइनिंग पाथ

फिलिस्तीन - हम्मास, अबु निदाल संगठन, अल फतह,

ईराक व सीरिया - का मुखिया था - अल बगदादी था।

पहले अलकायदा का हिस्सा था।

आयरलैण्ड - आयरिश रिपब्लिकन आर्मी

कम्बोडिया - खमेररूज

एंग्री ब्रिगेड

जर्मनी - बादर मीनहॉफ ग्रुप

श्रीलंका - लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम

(Strengthening State Security) —

आतंकवाद से मुकाबला
(NSA) (POTA) आतंकवाद के निवारण की तकनीक - मुख्यतः तीन तकनीक हैं।

मुख्य रूप से तीन श्रेणियाँ

Kalam Academy, Sikar | Jaipur :

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

राष्ट्रीय / राज्य सुरक्षा को बढ़ाना

भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या जैसे सख्त कानूनों का सहारा लिया है। में पैट्रियट
एक्ट (2001) के तहत अप्रवासियों की अनिश्चितकालीन बन्दी की जा सकती है।

[(Military Repression or Repressive Counter Terrorism)] के गुणानामों के जैसे जैले बर्तई है जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय दायरे से भी बाहर है। वहीं जिनेवा कन्वेंशन से बचने के लिए वहाँ रखे कैदियों को वह 'दुश्मन लड़कों' के रूप में वर्गीकृत नहीं करता।

उदार लोकतंत्र स्वतंत्रता व सुरक्षा के बीच झूल रहे हैं।

सैन्य दमन या दमनकारी प्रति-आतंकवाद का उपयोग

2001 में 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के द्वारा तालिबान व अलकायदा का सफाया किया गया। अफगानिस्तान की (Political Deal) बोस की पहाड़ियों व पाकिस्तान के वजीरीस्तान क्षेत्र में हमले किए गए। रूस ने चेचन्या आतंकवाद, श्रीलंका

ने तमिल आतंकवाद व चीन ने शिनजियांग मुस्लिम आतंकवाद का सेना द्वारा दमन किया है।

सैन्य दमन प्रति-उत्पादक भी होते हैं विशेष रूप से उस समय जब आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को मानव अधिकारों और नागरिक हितों के प्रति असंवेदनशील माना जाता है।

राजनीतिक सौदेबाजी

आतंकवादियों को बातचीत व कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से समझाना तथा राजनीतिक हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित (Nuclear. Terrorism Convention) 2005 के अन्तर्गत आतंकवाद के अंतर्गत आतंकवादियों के साथ 1998 का बेलफास्ट समझौता (गुड The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism' (2005) समझौता) या राजीव गाँधी व लालडेंगा के मध्य (1986) का मिजोरम का समझौता।

के प्रयास (Nuclear Security Summits)

9/11 के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा परिषद् ने 28 सितम्बर, 2001 को संकल्प 1373 पारित किया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए विविध और व्यापक उपायों एवं नीतियों का उल्लेख है। परमाणु आतंकवाद अभिसमय इसका औपचारिक नाम है -

2010 - यह 2007 से प्रभावी हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जो परमाणु आतंकवाद
2012 - के कृत्यों को आपराधिक बनाने और उन कृत्यों को रोकने, जाँच व दण्डित करने के लिए पुलिस और न्यायिक
2014 - सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। जून, 2023 तक 120 देश सदस्य हैं जिनमें से 115 देश
इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

अन्य प्रयास :-

2016 - परमाणु सुरक्षा सम्मेलन

Kalam Academy Sikar, Jaipur उद्देश्य - परमाणु सुरक्षा व परमाणु सामग्री व तकनीक को आतंकवादियों के हाथों में जाने से रोकना।

Call Us : 99828-44044, 93513-44044

प्रेरक - बराक ओबामा तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की प्रेरणा से ऐसे चार वैश्विक सम्मेलन हुए-

वांशिगटन (अमेरिका)

सियोल (द. कोरिया)

हेग (नीदरलैण्ड)

वाशिगटन (अमेरिका)